2022/699

FORM NO- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

3/a

जज अदालत ....उपखंड अधिकारी,..मुकाम.............बयाना...........

.............अशोक कुमार आदि..बनाम.....ब्रजभूषण बगैरह...............................

किस्म मुकदमा.......................प्रार्थना–पत्र 212 राज.टी.एक्ट...........नं. ....229/22..................सन........................

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.22	एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 212 राज. टी. एक्ट के तहत पेश कियां। हमने एडवोकेट प्रार्थिया को एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के हक में कयास आता है कि अप्रार्थीगण मूल के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीखपेशी दिनांक 18.12.2022 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 944 रकबा 0.15, 945 रकबा 0.28. 948 रकबा 0.53, 949 रकबा 0.43 बाके ग्राम खानखेड़ा के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। रहन, व्यय, मुंतकिल नहीं करे।इस बाबत् कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित हों। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो और अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 18.12.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
19 12/22	डीआ कार्य हो. पीठासीन अधिकारी ....हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23 1/23 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	18 12/22 को उपखण्ड ...
23 1/23	स्थानान्तरण पीठासीन अधिकारी ....हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/4/23 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.02.01 15:20:16 IST
Reason: SelfAttested

5/4/23 पीठासीन अधिकारी डीगर कार्य में व्यस्त हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/6/23 को पेश हो

[illegible]
रीडर
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

डीगर कार्य में ...हैं
12/6/23 पीठासीन अ... पत्रावली पूर्वानुसार 19/10/23 पेश हो

[illegible]
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

22/6/23 - प्रकरण आज वादीगण द्वारा [illegible] मूल वाद में प्रस्तुत [illegible] के आधार पर यह प्रार्थना [illegible] पत्र भी मूल वाद के साथ तारीख पेशी से पूर्व तलब किया. प्रार्थी सं. 1,2 की ओर से समझौतावादी गवाह स्वयं उप. हैं प्रार्थी 3,4,5 की ओर से [illegible] व स्वयं [illegible] उपस्थित हैं। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] पेश कर निवेदन किया कि उक्त पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है प्रार्थी अब अपना प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने उप. प्रार्थीगण व उपस्थित [illegible] को सुना। प्रार्थीगण अब अपना प्रार्थना पत्र खारिज चाहते हैं। प्रार्थी सं. 1,2 की पहचान [illegible] व प्रार्थी 3,4,5 की ओर से स्वयं [illegible] द्वारा [illegible] हैं।

[illegible] 22/6/23

अतः प्रार्थना [illegible] प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण [illegible] होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.02.01 15:20:16 IST
Reason: SelfAttested